

11

NOTARY  
DHANBAD

## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

**NON JUDICIAL**

**Sl. No..... Date .....** 12 10 SEP 2021

**Receipt Number :** 9eacff48c07416488210  
**Receipt Date :** 18-Jan-2022 03:56:12 pm  
**Receipt Amount :** 200/-  
**Amount In Words :** Two Hundred Rupees Only  
**Document Type :** Agreement or Memorandum of an Agreement  
**District Name :** Dhanbad  
**Stamp Duty Paid By :** RAMAYAN SHUKLA AND BALESHWAR TIWARI  
**Purpose of stamp duty paid :** AGREEMENT  
**First Party Name :** RAMAYAN SHUKLA AND BALESHWAR TIWARI  
**Second Party Name :** SHREE KRISHNA CONSTRUCTION  
**GRN Number :** 2209396800

**:- This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-**

**This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is illegal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899**

**संसीद रकम के वाले यह ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कोरी अथवा द्वारा इसी सीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।**

**NOTARY  
DHANBAD**

Ramayon m/s

F.M.S.

jeder / entwurf

## डेवलपमेन्ट एकरारनामा

एकरारनाम दातागण (प्रथम पक्ष अर्थात् भू-स्वामी):-

(1) श्री रामायण शुक्ला, पिता-स्व0 विगन शुक्ला, जाति-ब्राह्मण, पेशा-सेवानिवत्त, साकिम-36, नारू चकरवा, भोरे, गोपालगंज, बिहार-841426 (भारतीय), आधार सं0-8719 1311 4513 एवं पैन नं0-HPHPS6025G एवं (2) श्री बालेश्वर तिवारी, पिता-राघव तिवारी, जाति-ब्राह्मण, पेशा-खेती, साकिम-मठिया, अहियापुर, गोपालगंज, बिहार-841426 (भारतीय), आधार सं0-4539 2390 0331 एवं पैन नं0-ARNPT 4693C है।

एकरारनामा ग्रहिता द्वितीय पक्ष (डेवलपर्स-एग.एस. श्री कण्णा कंसद्रवशन):-

श्री उदय कुमार तिवारी, पिता-स्व0 बजनन्दन तिवारी, साकिम-न्यू कॉलोनी, जगजीवन नगर, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद (झारखण्ड)।

यह कि, प्रथम पक्ष ने यह जमीन जो निबंधन केवाला दस्तावेज के द्वारा खरीदा गया है जिसका केवाला सं0-3317, दिनांक-25.04.2006 है।

विवरण जमीन:- जिला निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना-धनबाद अन्तर्गत “बाड़ामूड़ी” मौजा में रैयती स्वत्व की खरीदा जमीन। पुराना मौजा नं0-03, खाता नं0-39, प्लॉट नं0-272, रकवा-9.50 डिसगिल यानी 5.75 कर्ट्ठा।

जिला निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना-धनबाद अन्तर्गत “बाड़ामूड़ी” मौजा में रैयती स्वत्व की खरीदा जमीन। नया मौजा नं0-03, खाता नं0-126, प्लॉट नं0-592 एवं 593, रकवा-9.50 डिसगिल यानी 5.75 कर्ट्ठा, उक्त जमीन पर आवासीय सह व्यवसायिक अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से बैंन शर्त से एकरार किये।



NOTARY  
DHANBAD

20 SEP 2021

.....2

Ramayon Singh

Jain

: 2 :

July 2022

1. यह कि, उपरोक्त जगीन पर प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से शांति पूर्ण वातावरण में भोग दखल करते आ रहे हैं। साथ ही उपर्युक्त अंकित जगीन का विकास कर अपार्टमेन्ट निर्माण के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृत प्रदान की गई है।

2. यह कि, प्रथम पक्ष / भू-स्वामी उपर्युक्त अंकित अपनी जगीन पर अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु द्वितीय पक्ष / डेवलपर्स को शांतिपूर्ण वातावरण में निर्विवाद रूप से दखल देंगे। प्रथम पक्ष उपर्युक्त अंकित जगीन के एवज में कुल 3,00,000/- (तीन लाख) रुपया में से अग्रिम ₹100,000/- (एक लाख) रुपया चेक/मुद्रा पी.आई.सं. १५१८२४, दिनांक १२/०२/२२ जो इंडियन बैंक, शाखा-सरायडेला द्वारा भुगतान किया गया। बांकि शेष राशि ...../- ( ) रुपया नक्सा बन जाने के बाद भुगतान किया जाएगा, जो अपार्टमेन्ट के निर्माण के बाद अपना हिस्सा 25 प्रतिशत प्राप्त करने के समय अग्रिम रूपरूप प्राप्त किया गया कुल 3,00,000/- (तीन लाख) रुपया वापस कर दिया जायेगा या डेवलपर्स द्वारा दनके 25 प्रतिशत हिस्सेदारी से समायोजित कर दी जाएगी।

दोनों की सहमति से आवासीय/व्यवसाय/पार्किंग प्रथम पक्ष को 25 प्रतिशत/1800 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया, द्वितीय पक्ष को 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी।

3. यह कि, प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है कि उक्त विवरण अंकित जगीन पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद लम्बित नहीं है और ना जगीन की कभी बिक्री ही की गई है। उपर्युक्त अंकित जगीन पर अपार्टमेन्ट निर्माण लिये नगर निगम से नक्शा पास कराने में कोई अड़चन नहीं आयेगा।

4. यह कि, अपार्टमेन्ट निर्माण हेतु नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जगीन से संबंधित सारे कागजात प्रथम पक्ष द्वारा निर्विवाद रूप से द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या शपथ-पत्र तत्काल प्रथम पक्ष उपलब्ध करायेगा। नगर निगम से नक्शा पास कराने में छोने वाले खर्च द्वितीय पक्ष अपने

\* करने से करने।



NOTARY  
DHANBAD

10 SEP 2022

.....3

Ramayansrule

Jitendra

July 15/2021

: 3 :

(5) यह कि, अपार्टमेन्ट का निर्माण धनबाद नगर निगम से स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि किसी भी तरह से गलत निर्माण होता है तो सारी जिम्मेवारी डेवलपर्स पर होगी। इस कारण यदि कोई बाद-विवाद या कानूननी कार्रवाई होती है तो सारी जवाबदेही डेवलपर्स पर होगी। प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार से जवाबदेह या जिम्मेवार नहीं होगा।

(6) यह कि, नगर निगम से नक्शा पास होने के पूर्व उक्त अंकित जमीन से संबंधित सभी प्रकार का बकाया आदि का कर का भुगतान प्रथम पक्ष करेगा। नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराने एवं स्वीकृत होने के बाद सभी प्रकार के कर आदि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

(7) यह कि, अपार्टमेन्ट निर्माण के बाद प्रथम पक्ष का हिस्सा प्रत्येक फ्लॉर में आगे या पीछे फ्लैट होगा। साथ ही दोनों पक्ष अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद अपने हिस्से का कर भुगतान करेंगे।

(8) यह कि, प्रथम पक्ष/भू-स्वामी द्वितीय पक्ष को भूमि के टाइटल में त्रुटि होने से इन्डेमनीफाई करेंगे तथा यह भी दावा करते हैं कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को ना तो बेचेंगे ना ही किसी भी प्रकार का कर्ज लेंगे और ना ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य से कोई एकरार करेंगे।

(9) यह कि, अपार्टमेन्ट निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हुए उच्च कोटि के बिल्डिंग मेटेरियल का ही प्रयोग किया जाएगा।

(10) यह कि, अपार्टमेन्ट के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या अड़चन आने की स्थिति में प्रथम पक्ष अपना हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे।



NOTARY  
DHANBAD

10 SEP 2021

4

Ranmagambrukti  
TAN  
प्रकार की दखल  
: 4 :

(11) यह कि, अपार्टमेन्ट के निर्माण एवं प्रथम पक्ष को प्रत्येक फ्लॉर में हिस्सा आवंटित कर देने के बाद प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के नाम पर अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा मनोनित किरी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर फ्लैट निवंधन करा देंगे।

(12) यह कि, निर्माण के दौरान प्रथम पक्ष या वारिसान किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी या रुकावट डालने का कार्य नहीं करेंगे।

(13) यह कि, उपर्युक्त जमीन पर अपार्टमेन्ट निर्माण के लिए डेवलेपर्स अपने ठेकेदार, कारीगर, पार्टनर आदि बहाल कर उनसे काम लेने का पूर्ण अधिकार होगा। डेवलेपर्स किसी भी सरकारी या निजी संस्था से निर्माण मेटेरियल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे राथ ही कार्य रो संबंधित किरी सांवैधानिक संस्था का सहयोग लेने एवं कानूनी कार्रवाई का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

(14) यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेन्ट निर्माण से संबंधित सभी नफा—नुकसान सभी कार्यों तथा किसी दुर्घटना के लिए द्वितीय पक्ष/डेवलेपर्स जवाबदेह होंगे। प्रथम पक्ष/भू—स्वामी को इसकी किसी तरह की जवाबदेही नहीं होगी।

(15) यह कि, किसी सरकारी अर्द्धसरकारी संस्था में किसी भी प्रकार का सेक्यूरिटी एमाउन्ट माँग की जाती है तो, द्वितीय पक्ष/डेवलेपर्स उसे जमा करेंगे और वापस लेंगे। प्रथम पक्ष का इसपर कोई अधिकार नहीं होगा।

(16) यह कि, द्वितीय पक्ष के हिस्से में आने वाले बिल्डप एरिया पर पूर्ण अधिकार रहेगा द्वितीय पक्ष विज्ञापन के माध्यम से किरी भी क्षेत्र में बुक कर उस भाग को किसी भी व्यक्ति से बिक्री करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे और उसका मूल्य लेने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा। फ्लैट खरीदने वाले कोई भी खरीदार बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं। इसपर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगी।



NOTARY  
DHANBAD

10 SEP 2022

.....5

Ramagondula  
Kondapalli  
Vidya Devi

: 5 :

(17) यह कि, सामान्य सुविधाओं के लिए होने वाले खर्च (जैसे जेनरेटर, चाहरदिवारी व्यवस्था आदि) द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स करेगा। प्रथग पक्ष कुछ भी खर्च नहीं करेगा किन्तु उपयोग करेगा।

(18) यह कि, प्रथम पक्ष/भू-स्वामी अपने हिस्से का उपयोग अपने इच्छानुसार करेंगे। प्रस्तावित अपार्टमेन्ट के छत पर दोनों पक्षों के शेहयर के अनुसार उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है।

(19) यह कि, प्रथम पक्ष डेवलेपर्स के आग्रह पर सभी प्रकार की आवेदन, केवाला दस्तावेज एवं शपथ-पत्र आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेंगे।

(20) यह कि, डेवलेपर्स अपार्टमेन्ट के अलावा बोरिंग, लिफ्ट, हार्वेस्टिंग, पानी निकासी की व्यवस्था अपने राशि से करेंगे। प्रथम पक्ष कुछ भी खर्च नहीं करेगा।

(21) यह कि, एकरारनामा के बाद प्रथम पक्ष को डेवलॉपर्स द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ एटोर्नी बना देंगे, ताकि डेवलपर्स बिल्डिंग प्लान बनाकर नगर निगम से नक्शा पास कराने तथा भविष्य के खरीददारों के लिए एकरारनामा तैयार करने में मदद मिल सके। डेवलेपर्स अर्थात् द्वितीय पक्ष डेवलेप हेतु पलैट बनाने हेतु या प्रोजेक्ट हेतु कर्ज ले सकते हैं। डेवलपर्स कर्ज लेते हैं तो प्रथम पक्ष को हिस्सेदारी देते समय कर्ज का एन.ओ.सी. प्रदान करेगा। जमीन पर कर्ज नहीं



NOTARY  
DHANBAD

10 SEP 2022 .....6

formaldehyde

6

Constant  
long

(22) यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेन्ट का निर्गाण डेवलेपर्स द्वारा स्टैण्डर्ड स्पेरीफिकेशन के अनुरूप करेंगे। स्पेरीफिकेशन से अलग हटकर कोई काग प्रथम पक्ष करना चाहे तो वैसी स्थिति में अतिरिक्त लागत का भुगतान प्रथम पक्ष करेंगे।


(23) यह कि, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद डेवलपर्स प्रथम पक्ष को लिखित सूचना देंगे और उसमें लगाने वाले सभी कॉमन फिटिंग एवं सारी सुविधा मुहैया करकर प्रथम पक्ष के हिस्से को हस्तांतरित करेंगे।

(24) यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेन्ट में खरीदने वाले सभी पलैट ऑफर्स की एक कमिटी गठन डेवलपर्स कराएंगे। इस कमिटी में प्रथम पक्ष भी सदस्य होंगे। यह कमिटी अपार्टमेन्ट के रख-रखाव तथा देख-रेख का कार्य करेंगी। इसमें आने वाले कॉमन कार्य का भुगतान (मेन्टेनेंस चार्ज) बराबर-बराबर सभी को करना होगा। प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से के हिसाब से कॉमन कार्य का पैसा कमिटी को देंगे।

(25) यह कि, नक्शा पास होने के बाद निर्माण के लिये लगभग  $2\frac{1}{2}$  वर्ष का समय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जाएगा। अनिवार्य अत्याज्य की स्थिति के कारण विलम्ब होने से इसकी अवधी का विस्तार 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा।

(26) यह कि, इस एकरारनामा से संबंधित सभी विवाद धनबाद न्यायालय में ही सूलझाया जाएगा।

(27) यह कि, इस एकरारनामा की दो प्रति तैयार की गई हैं जो एक दूसरे के समक्ष हैं। एक प्रति प्रथम पक्ष और दूसरी प्रति द्वितीय पक्ष के पास होगी।



**KOTAK  
DHANBAD**

30 SEP 2022

7

: 7 :

(28) यह कि, पूर्ण सुपल बिल्डप एरिया का नापी कर 25 प्रतिशत / 1800 वर्गफीट प्रथम पक्ष को हिस्सा दिया जाएगा और रुपर बिल्डप एरिया का 75 प्रतिशत द्वितीय पक्ष / डेवलेपर्स के हिस्से में जाएगा।

हमलोगों ने सरल मन, स्वस्थ शरीर में समझ—बुझाकर यह एकरारनामा पत्र लिखा दिया ताकि समय पर काग आवे।

गवाहों के हस्ताक्षरः—

1. Om-Brahaksh-Shukla,

S/O - Ramayan Shukla.

Bhuli Nagar A/475 Dhanbad.

2. ~~Om-Brahaksh-Shukla~~  
S/O ~~प्रभुदेव~~ २११७  
बालमुखी, उपनगरी

3. Rajiv Kumar Choudhary

S/O D. K. Choudhary  
Nawadish, Dhanbad

1. *Ramayan Shukla*

*J. J. Joshi*

2.

*प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर*

*Md. Irfan*

*द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर*

*Om*

*T. S. D. O. R. K. R.*  
10.09.2022

**NOTARY  
DHANBAD**

Authorised  
u/s (B) (i) (a) of Notaries Act  
1952 (Act No. 53 of 1952)

